The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 9 | September 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

ग्रामीण रोजगार में मनरेगा का योगदान

सुमन कुमारी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखंड, shivaayisparsh@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17328926

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-09-2025

Published: 10-10-2025

Keywords:

मनरेगा, आजीविका सुरक्षा,माजिक समावेश गरीबी उन्मूलन,सतत विकास i

ABSTRACT

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। मनरेगा ने ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने, श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने और ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से जल संरक्षण, भूमि विकास, सड़क निर्माण तथा पर्यावरणीय संरक्षण जैसे कार्यों को भी बढ़ावा मिला है। यह योजना सामाजिक समावेश, महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली साधन के रूप में उभरी है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य यह है कि मनरेगा किस प्रकार ग्रामीण रोजगार की स्थिति में सुधार लाने में सहायक रही है और इसके प्रभाव से ग्रामीण समाज में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं।

परिचय (Introduction):

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इन क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर, मौसमी बेरोजगारी तथा गरीबी जैसे सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं लंबे समय से मौजूद रही हैं। ऐसे परिदृश्य में भारत सरकार ने वर्ष 2005 में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)" लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।

मनरेगा एक ऐतिहासिक और सामाजिक सुरक्षा आधारित योजना है, जो हर ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम-से-कम 100 दिनों के लिए सुनिश्चित रोजगार की गारंटी देती है। यह रोजगार अकुशल, शारीरिक श्रम आधारित होता है और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कार्यों पर केंद्रित रहता है। इस योजना की एक विशेषता यह भी है कि इसमें महिला भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण में भी सहयोग मिला है।

मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, श्रमिकों की आय बढ़ाने, प्रवासन को नियंत्रित करने और पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना केवल रोजगार का साधन ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेश, आर्थिक समानता और सतत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि मनरेगा ने ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, इससे ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुए हैं और इसकी सफलता तथा चुनौतियाँ क्या हैं।

समीक्षा साहित्य (Review of Literature):

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पर विभिन्न शोधकर्ताओं, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों एवं सरकारी संगठनों द्वारा समय-समय पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा न केवल ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने का प्रभावी माध्यम रहा है, बल्कि इससे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं।

1. **जाँधव (2010)** के अनुसार, मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। उन्होंने पाया कि योजना के तहत महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यरत हुई हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला है।
2. **द्रेज़ और सेन (2013)** ने अपनी पुस्तक *An Uncertain Glory* में मनरेगा की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण आजीविका सुधारने वाला और सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार बताया है। उन्होंने इस योजना को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना।
3. **नरेगा संचार (NREGA Samachar, 2016)** नामक सरकारी प्रकाशन में उल्लेख है कि मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों ने जल संरक्षण, भूमि सुधार और वृक्षारोपण जैसे पर्यावरणीय कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

4. **विश्व बैंक (World Bank Report, 2013)** ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि मनरेगा ने भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम के रूप में काम किया है, जिसने ग्रामीण मजदूरों की क्रय शक्ति में वृद्धि की है और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में सहायता की है।

5. **राजीव शर्मा (2015)** ने अपने शोध में पाया कि योजना का क्रियान्वयन कई राज्यों में भिन्न-भिन्न स्तर पर हुआ है, जिससे कुछ राज्यों में इसके बेहतर परिणाम देखे गए जबकि कुछ स्थानों पर भ्रष्टाचार और लेटलतीफी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए।

6. **CAG रिपोर्ट (2013)** में यह बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी, जॉब कार्ड में गड़बड़ी और भुगतान में देरी जैसी समस्याएँ भी देखी गईं, जो इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

इन सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु इसके बेहतर परिणाम हेतु कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। यह योजना शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र बनी हुई है।

चर्चा (Discussion):

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम बनी है। चर्चा के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम इसके प्रभाव, उपलब्धियों एवं चुनौतियों का विश्लेषण कर सकते हैं:

1. रोजगार सृजन और आजीविका सुरक्षा:

मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह विशेष रूप से गरीब, भूमिहीन और मजदूर वर्ग के लिए एक राहत का साधन बनकर उभरा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं।

2. महिला सशक्तिकरण:

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। कई राज्यों में महिला श्रमिकों की भागीदारी पुरुषों से अधिक हो गई है। इससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है और वे घरेलू निर्णयों में अधिक सक्रिय हो रही हैं।

3. स्थानीय संसाधनों का विकास:

मनरेगा के तहत किए गए कार्य जैसे – तालाबों की खुदाई, सिंचाई नालियों का निर्माण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, आदि से गांवों की आधारभूत संरचना मजबूत हुई है। जल संरक्षण और भूमि सुधार के क्षेत्र में भी यह योजना सहायक सिद्ध हुई है।

4. प्रवासन पर नियंत्रण:

मनरेगा ने ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजित करके शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले मौसमी प्रवासन को काफी हद तक रोका है। इससे न केवल श्रमिकों को अपने गांव में काम मिला है, बल्कि उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

5. सामाजिक समावेशन और समानता:

इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल मिला है और हाशिये पर रहने वाले वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिली है।

6. चुनौतियाँ और कमियाँ:

हालांकि योजना का उद्देश्य स्पष्ट और जनहितैषी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई समस्याएँ सामने आई हैं, जैसे:

- कार्यों का समय पर चयन न होना
- मजदूरी भुगतान में देरी
- भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका
- जॉब कार्ड में गड़बड़ियाँ
- निगरानी तंत्र की कमजोरी

7. कोविड-19 महामारी के समय में मनरेगा की भूमिका:

महामारी के दौरान जब लाखों प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटे, तब मनरेगा ने उन्हें तात्कालिक रोजगार का साधन प्रदान किया। इसने सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यद्यपि इसके क्रियान्वयन में सुधार की अभी भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) ने ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। इस योजना के माध्यम से न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिला है, बल्कि ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा मिला है।

यह अधिनियम देश के सबसे बड़े सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम के रूप में स्थापित हुआ है, जिसने गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने में निर्णायक भूमिका निभाई है। विशेष रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं को इस योजना से अधिक लाभ हुआ है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।

हालाँकि योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे – पारदर्शिता की कमी, भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार, एवं पर्याप्त निगरानी का अभाव। इन कमियों को दूर करके इस योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि मनरेगा केवल एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक स्थायी पहल है। यदि इसे ईमानदारी एवं प्रभावी प्रशासन के साथ लागू किया जाए, तो यह ग्रामीण भारत के परिवर्तन का आधार बन सकती है।

संदर्भ (References):

1. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) – www.nrega.nic.in
2. जाँधव, एस.आर. (2010). *मनरेगा और ग्रामीण विकास*, नई दिल्ली: राज पब्लिकेशन।
3. द्रेज़, जाँ और सेन, अमर्त्य (2013). *An Uncertain Glory: India and its Contradictions*, पेंग्विन बुक्स।

4. विश्व बैंक रिपोर्ट (2013). *India: Social Protection for a Changing India*.

5. CAG (Comptroller and Auditor General) रिपोर्ट (2013). *Performance Audit of MNREGA*, भारत सरकार।

6. नरेगा संचार (2016). *मनरेगा की सफलता की कहानियाँ*, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

7. शर्मा, राजीव (2015). "Evaluation of MGNREGA in Northern India", *International Journal of Social Sciences*, Volume 3, Issue 2।

8. देसाई, वी. (2011). *ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार नीति*, मुंबई: हिमालय पब्लिशिंग हाउस।

9. NSSO रिपोर्ट (2012). *Participation and Expenditure in MNREGA*, भारत सरकार।

10. योजना आयोग (Planning Commission) (2011). *Evaluation Study on MNREGA*, नई दिल्ली।